GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD
AYUDH BHAVAN
10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD
KOLKATA-700 001

OFB

TEL : (033) 22485077-80 | FAX:(033) 22487822

No.288/RR/SRO/FED/PER/NI **Date : 16 -10-2017**

To
The Sr. General Manager / General Manager
All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub : Framing of SRO in respect of Fire Engine Driver (Special Grade), Fire Engine Driver Grade-I, Fire Engine Driver Grade-II, and Fire Engine Driver Grade-A in Ordnance and Ordnance Equipment factories and other offices and establishments in Ordnance Factories organisation.

*****

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of S.R.O 57 & 58 dated 17th July, 2017 for the post of Fire Engine Driver (Special Grade), Fire Engine Driver Grade-I, Fire Engine Driver Grade-II, and Fire Engine Driver Grade-A, in supersession of earlier SRO related to the above posts for favour of necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.- S.R.O 57 & 58 dated 17.07.2017

Singh

[Dr.(Smt.) Vani A.Singh]
Director / A&NI
For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-

1. Chairman 's Sectt., OFB Kolkata.
2. All Members, OFB Kolkata.
3. The Addl. DGOF/AV HQrs, Avadi.
4. The Addl. DGOF/OEF HQrs, Kanpur.
5. Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
6. Principal Director/OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
7. Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata.
8. Section : Per/NG, Per/Policy and Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.

		(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 8 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (7) alongwith three years experience in teaching and, or, translating foreign language into English and vice-versa.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee :** 1. Joint Secretary (Establishment / Chief Administrative Officer, Ministry of Defence – Chairman 2. Director, Office of Joint Secretary (Establishment / Chief Administrative Officer), Ministry of Defence – Member 3. Officer of the status of Director or equivalent from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Signals Intelligence Directorate, General Staff Branch – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. A/33980/CAO/R-II]

AMAR NATH SINHA, Dy Chief Administrative Officer

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2017

का.नि.आ. 57.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियां, फायर इंजिन ड्राइवर (विशेष श्रेणी), फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी II और फायर इंजिन ड्राइवर समूह-क (औद्योगिक समूह "ग" पद) (भर्ती और सेवा की शर्तें) 2005 जहां तक कि वह फायर इंजिन ड्राइवर (विशेष श्रेणी) से संबंधित है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है आयुध और आयुध उपस्कर निर्माणियों के अंतर्गत आयुध उपस्कर निर्माणियों तथा अन्य कार्यालयों एवं स्थापनाओं में आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय स्थापना के सिवाय फायर इंजिन ड्राइवर (विशेष श्रेणी) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ,अर्थात् —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियां, फायर इंजिन ड्राइवर (विशेष श्रेणी) समूह "ख" अराजपत्रित भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
फायर इंजिन ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	22* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	
(4)	(5)	
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.)	अचयन	
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के सम्बंध में लागू होंगी या नहीं

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5, (29200-92300/- रु.) में ऐसा फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-I उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो

		और प्रचालन, अनुरक्षण उत्तीर्ण और मामूली विहित परीक्षा में उत्तीर्ण की हो (जैसा कि विभाग द्वारा संचालित किया हो)। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित ,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक – अध्यक्ष 2. संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) – सदस्य 3. उप महाप्रबंधक (अग्नि सेवाएं) – सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** 1. आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक – अध्यक्ष 2 संयुक्त महाप्रबंधक (प्रशासन) – सदस्य 3 उप महाप्रबंधक (अग्नि सेवाएं) – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 41(2)/2010-डी (स्था./एन.जी.)]

अम्लान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 17th July, 2017

S.R.O. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Ordnance and Ordnance Equipment Factories, Fire Engine Driver (Special Grade), Fire Engine Driver Grade-I, Fire Engine Driver Grade-II and Fire Engine Driver Grade-A (Group'C' Non-Industrial posts)(Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2005, insofar as they relate to the post of Fire Engine Driver (Special Grade) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fire Engine Driver (Special Grade) in the Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments under the Ordnance and Ordnance Equipment Factories, except the Ordnance Factory Board Head Quarter establishment, namely :-

1. **Short title and commencement** .—(1) These rules may be called the Indian Ordnance and Ordnance Equipment Factories, Fire Engine Driver (Special Grade), Group 'B', Non-Gazetted post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the level in the pay matrix** .—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. **Disqualification.**—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that the marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
Fire Engine Driver (Special Grade)	22* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial

Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection posts
(4)	(5)
Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-)	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Fire Engine Driver Grade-I with 6 years regular service in the Grade in Level-5 of the pay matrix (Rs.29200-92300/-) and having passed the prescribed test	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) General Manager of the Ordnance Factory – Chairman (2) Joint General Manager (Admin) – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

on operation, maintenance and minor repairs of fire tenders (As conducted by the Department). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(3) Deputy General Manager (Fire Services) – Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) General Manager of the Ordnance Factory – Chairman (2) Joint General Manager (Admin) – Member (3) Deputy General Manager (Fire Services) – Member	

[F. No. 41(2)/2010-D(Estt/NG)]

AMLAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2017

का.नि.आ. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियां, फायर इंजिन ड्राइवर (विशेष श्रेणी), फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-1, फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-2 और फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-क (समूह "ग" अनौद्योगिक पद) (भर्ती और सेवा शर्त) नियम 2005 को जहां तक वह फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-1, फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-2 और फायर इंजिन ड्राइवर समूह–क पद से संबंधित है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, आयुध और आयुध उपस्कर निर्माणियों के अंतर्गत आयुध और आयुध उपस्कर निर्माणियां तथा अन्य कार्यालयों एवं स्थापनाओं में आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय स्थापना के सिवाय फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-1, फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-2 और फायर इंजिन ड्राइवर समूह–क पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियां, फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-1, फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-2 और फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी–क (समूह ख अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 2017 है।

   (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध सूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी -I	156* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300/- रु.)	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (25500-81100/- रु.) में फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो अथवा फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-II और फायर इंजिन ड्राइवर

		श्रेणी-क में तेरह वर्ष की सम्मिलित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. महाप्रबंधक अथवा अपर महाप्रबंधक अथवा स्थापना प्रमुख – अध्यक्ष 2. संयुक्त महाप्रबंधक अथवा उप महाप्रबंधक – सदस्य 3. संयुक्त महाप्रबंधक अथवा उप महाप्रबंधक – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
2. फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-II	135* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500-81100/- रु.)	अचयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स (19900-63200/- रु.) के स्तर-II में फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी 'क' जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे के अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महाप्रबंधक या अपर महाप्रबंधक या स्थापना के प्रमुख – अध्यक्ष 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक – सदस्य 3. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
3. फायर इंजिन ड्राइवर श्रेणी-'क'	111* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

(4)	(5)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200/- रु.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)
18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या	i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ii) भारी वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्ति	लागू नहीं होता

आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए लिए विहित की गई है)	होना अनिवार्य है तथा तीन वर्ष का चलाने का अनुभव iii) शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए और कठिन कर्तव्य करने में सक्षम होना चाहिए। इन आवश्यकताओं का परीक्षण निम्नानुसार होगा - (क) लंबाई बिना जूतों के 165 से.मी. (ख) सीना (फुलाकर) 85 से.मी. (ग) सीना (बिना फुलाए) 81.5 से. मी. (घ) भार 50 कि.ग्रा.(न्यूनतम) सहनशीलता परीक्षा (ङ) 63.5 कि.ग्राम भार के व्यक्ति फोरमैन लिफ्ट को 96 सेकेंड के अंदर 183 मीटर की दूरी तक उठाकर ले जाना (च) हाथ एवं पैर का उपयोग करते हुए 3 मीटर सीधी रस्सी पर चढ़ना (छ) 2.7 मीटर चौड़े गड्ढे को पार करना (लंबी छलांग) **टिप्पणी:** पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए ऊँचाई अथवा सीने में 2.5 से.मी. की छूट अनुज्ञेय है। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष सीधी भर्ती अथवा पुन:-नियुक्ति के लिए	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा **सशस्त्र बल कार्मिक :** प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय स्थापना के सिवाय आयुध और आयुध उपस्कर निर्माणियों के अंतर्गत आयुध एवं आयुध उपस्कर निर्माणियों तथा अन्य कार्यालयों एवं स्थापनाओं में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/- रु.) में नियमित समूह ग कर्मचारियों में से जिसके पास मोटर कार चलाने की सक्षमता को जांचने के लिए चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार हेतु विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है जिसके न होने की स्थिति में नियमित आधार पर डिसपैच राइडर के पद को धारण करने वाले कार्मिक अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/- रु.) में नियमित समूह ग कर्मचारी जो स्तंभ 7 उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं को पूरा करते हों । सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति / पुन:-नियुक्ति : सशस्त्र सेना कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है या एक वर्ष की अवधि के भीतर जिनका स्थानांतरण किया जाना है तथा विहित वांछित अनुभव और अर्हता रखते हों, पर किया जा सकता है । ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक जिनमें उनका सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होना शेष है, प्रतिनियुक्ति शर्तों के अंतर्गत रखा जाएगा । **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं :- 1. महाप्रबंधक या अपर महाप्रबंधक या स्थापना प्रमुख – अध्यक्ष 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक – सदस्य 3. संयुक्त महाप्रबंधक या उप महाप्रबंधक – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 41(2)/2010/डी (स्था./एन.जी.)]

अम्लान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 17th July, 2017

S.R.O. 58.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Ordnance and Ordnance Equipment Factories, Fire Engine Driver (Special Grade), Fire Engine Driver Grade –I, Fire Engine Driver Grade– II and Fire Engine Driver Grade-A (Group 'C' Non-Industrial posts) (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2005, insofar as they relate to the post of Fire Engine Driver Grade –I, Fire Engine Driver Grade– II and Fire Engine Driver Grade-A except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Fire Engine Driver Grade – I, Fire Engine Driver Grade – II and Fire Engine Driver Grade – A in the Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments under the Ordnance and Ordnance Equipment Factories, except the Ordnance Factory Board Head Quarter establishment, namely :-

1. **Short title and commencement** .—(1) These rules may be called the Indian Ordnance and Ordnance Equipment Factories, Fire Engine Driver Grade – I, Fire Engine Driver Grade – II and Fire Engine Driver Grade – A (Group 'C' Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and the level in the pay matrix** .-- The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached to the said posts shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

5. **Disqualification. - No person,** –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that the marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving** .—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
1.Fire Engine Driver Grade-I	156 * (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.

Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection posts
(4)	(5)
Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300/-)	Non-selection

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Fire Engine Driver Grade-II in the Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100/-) with Five years of regular service in the grade or with a combined service of thirteen years in Fire Engine Driver Grade-II and Fire Engine Driver Grade – A; and have passed the trade test, specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -** (1) General Manager or Additional General Manager or Head of Establishment – Chairman (2) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member (3) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member	Not applicableण्

(1)	(2)	(3)
2.Fire Engine Driver Grade-II	135 (2017)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.

(4)	(5)
Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100/-)	Non-selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Fire Engine Driver Grade-A in Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-) with eight years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or-eligibility	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) General Manager or Additional General Manager or Head of Establishment –Chairman (2) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member (3) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member	Not applicable.

service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)
3. Fire Engine Driver Grade-A	111* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.

(4)	(5)
Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between18 and 27years (relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh,	i) 10th Standard pass from a recognized board. ii) Must possess licence for driving heavy vehicles and have three years driving experience. (iii) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties. This requirement will be tested as under: (a) Height without shoes 165 centimetres. (b) Chest (on expansion) 85 centimetres. (c) Chest (Unexpanded) 81.5 centimetres. (d) Weight 50 Kilograms. (minimum) Endurance test :- (e) Carrying a man fireman lift of 63.5 Kilograms to distance of 183 metres within 96 seconds. (f) Climbing 3 metres verticals rope using hand and feet. (g) Clearing 2.7 metres wide ditch landing on both feet (long jump).	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces **Personnel:** Deputation/re-employment

Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)	**Note:** Concession of 2.5 centimetres in height or chest may be allowed for the members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates from hill areas. **Note 1:** the qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In case of candidates belonging to the Schedule Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Group C employees in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/-) in the Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments under the Ordnance and Ordnance Equipment Factories, except the Ordnance Factory Board Head Quarter establishment, who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/-) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one Year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (1) General Manager or Additional General Manager or Head of Establishment –Chairman (2) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member (3) Joint General Manager or Deputy General Manager – Member	Not applicable.

given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 41(2)/2010-D(Estt./NG)]

AMLAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2017

का.नि.आ. 59.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारीवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (सफाई निरीक्षक) भर्ती नियम 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारीवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (सफाई निरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, एकीकृत मुख्यालय (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारीवृंद मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (सफाई निरीक्षक) भर्ती नियम 2016 में,—

(अ) नियम 2 में, शब्दों "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर, शब्द "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखे जाएंगे;

(आ) अनुसूची में,—

(क) स्तंभ (4) में,—

(i) शीर्षक के स्थान पर, शीर्षक "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखा जाएगा;

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6" रखी जाएगी;

(ख) स्तंभ (11) में,- "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" के अधीन,-

(i) मद (क) में,-